

पत्रांक 579 / 13सी.

सेवा में,

उपवन संरक्षक
 रुद्रप्रयाग, वन्यजीव प्रभाग,
 रुद्रप्रयाग।

विषय:-

सन्दर्भ:-

जनपद- रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत भटवाडी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.612 है. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं. 8बी./यू.सी.पी./06/102/2016/एफ.सी./1690 दिनांक 15-01-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों को विन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

अनुपालन आख्या

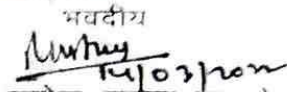
विन्दु संख्या	शर्त का विवरण	
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा दस गुना (91X10=910) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹1332240.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। एन.पी.वी. की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (शुल्भ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	-तदैव-
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियों (CA Cast, N.P.V. etc.) को वेब पोर्टल पर ऑनलाइन Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	खण्ड द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण वृक्षों का रख-रखाव व एन.पी.वी. का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग से आकलन प्राप्त होने के उपरान्त निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार ही किया गया है। खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान ₹1849380.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (शुल्भ सन्दर्भ हेतु ऑनलाइन पावती रसीद सलग्न है।)

3-222

5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो रिक्त पट्टे स्थानों पर नुस्खाकरण से सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र सलग्न है।
6	सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी। State Govt. will upload FRA certificate of DM after authentication due to correction in area and will provide the original hard copy of the same. FRA प्रमाण-पत्र में हुए correction का जिलाधिकारी महोदय से पुनः सत्यापन कराया गया। जिसकी मूल प्रति सलग्न है।

सलग्न - उपरोक्तानुसार।

पत्रांक / 13सी.

भवदीय

 (इ. मनोज कुमार मेट्टा)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
 ऊखीमट (रुद्रप्रयाग)

दिनांक / / 2022

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
 ऊखीमट (रुद्रप्रयाग)

सेलनक ①

NEFT RTGS CHALLAN

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 02-11-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6115603664
MoEF/SG File No	8B/UCP/06/102/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAG Rudraprayag
Amount(in Rs)	1849380/-

Amount in Words Eighteen Lakh Forty-Nine Thousand Three Hundred and Eighty Rupees Only

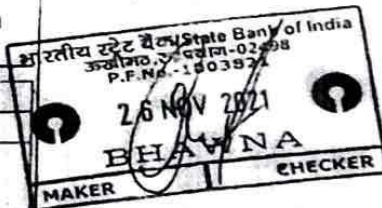
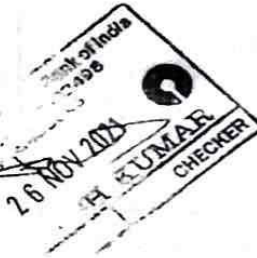
SBI/AR5202111 9653712680

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name.	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code.	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896115603664
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

ay send a line of confirmation through



P.C. Attested

निताप सव साठ विंशति
उत्तीक (रुद्रप्रयाग)

Executive Engineer,
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudraprayag)

प्रपत्र-43

रियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत भटवाड़ी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

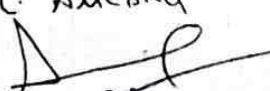
एन. पी.वी. की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण
खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण
खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता,
निर्माण
खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

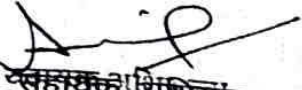
P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

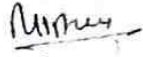
संलग्नक - (2)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत भटवाडी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में किये जाने की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण के पश्चात् मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की देख रेख में Strip plantation करा दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C. Attached


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

शेल्ड मार्क- (4)

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत भटवाड़ी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत भटवाड़ी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। हेतु 0.6/2 है पंचायती वनभूमि लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं० 11-9/98-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारिषण लाईन, रोपवे, ओ०एफ०सी०, केबिल, पाईप लाईन देखने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Raghu
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

5101343 (1) (53A)
ANNEXURE.....

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.S

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar District Magistrate Rudraprayag on date 14.01.15 at time 2.00 PM at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.42 hect for Transfer Bhatwari-Sunar-Chandrapuri, motor road under district sector of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division 35 level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:.....


(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee Rudraprayag

21/12/14 - (1)

FA

06

Form-I
(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District collector- Rudrapur

Dated 18-12-2014

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (0.612) hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Ukhimath Rudrapur (name of user agency) for Construction of Bhatwar-Sunar-Chandrapur motor road under district sector (purpose for diversion of forest land) in Rudrapur - district falls within jurisdiction of Bhatwar-Sunar villages in Ukhimath tehsil

is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire (0.612) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure 1 and annexure 2.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre-agricultural communities.

Encl As above.

(Full name and official seal of the District collector)

Raghu
Signature
District collector

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.
E-mail:- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 579/13सी.

दिनांक 14/03/2022

सेवा में,

उपवन संरक्षक
रुद्रप्रयाग, वन्यजीव प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

विषय:-

सन्दर्भ:-

महोदय,

जनपद- रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत भटवाड़ी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.612 है. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं. 8बी./यू.सी.पी./06/102/2016/एफ.सी./1690 दिनांक 15-01-2018।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा दस गुना (91X10=910) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹1332240.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन.पी.वी. की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (शुल्भ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलग्न है।)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	-तदैव-
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियाँ (CA Cast, N.P.V. etc.) को वेब पोर्टल पर ऑनलाइन Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	खण्ड द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, वृक्षों का रख-रखाव व एन.पी.वी. का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग से आकलन प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया गया है, खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान 1849380.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (शुल्भ सन्दर्भ हेतु ऑनलाइन प्राप्त पावती रसीद सलग्न है।)

5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र सलंगन है।
6	State Govt. will upload FRA certificate of DM after authentication due to correction in area and will provide the original hard copy of the same.	FRA प्रमाण-पत्र में हुये correction का जिलाधिकारी महोदय से पुनः सत्यापन कराया गया। जिसकी मूल प्रति सलंगन है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

o/c

पत्रांक 579/13सी.

भवदीय,
Muney
 14.03/2022
 (इं. मनोज कुमार भट्ट)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो.नि.पि.,
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
 दिनांक 14 / 03 / 2022

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

Muney
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो.नि.पि.,
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत भटवाडी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में किये जाने की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण के पश्चात् मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation करा दिया जायेगा।

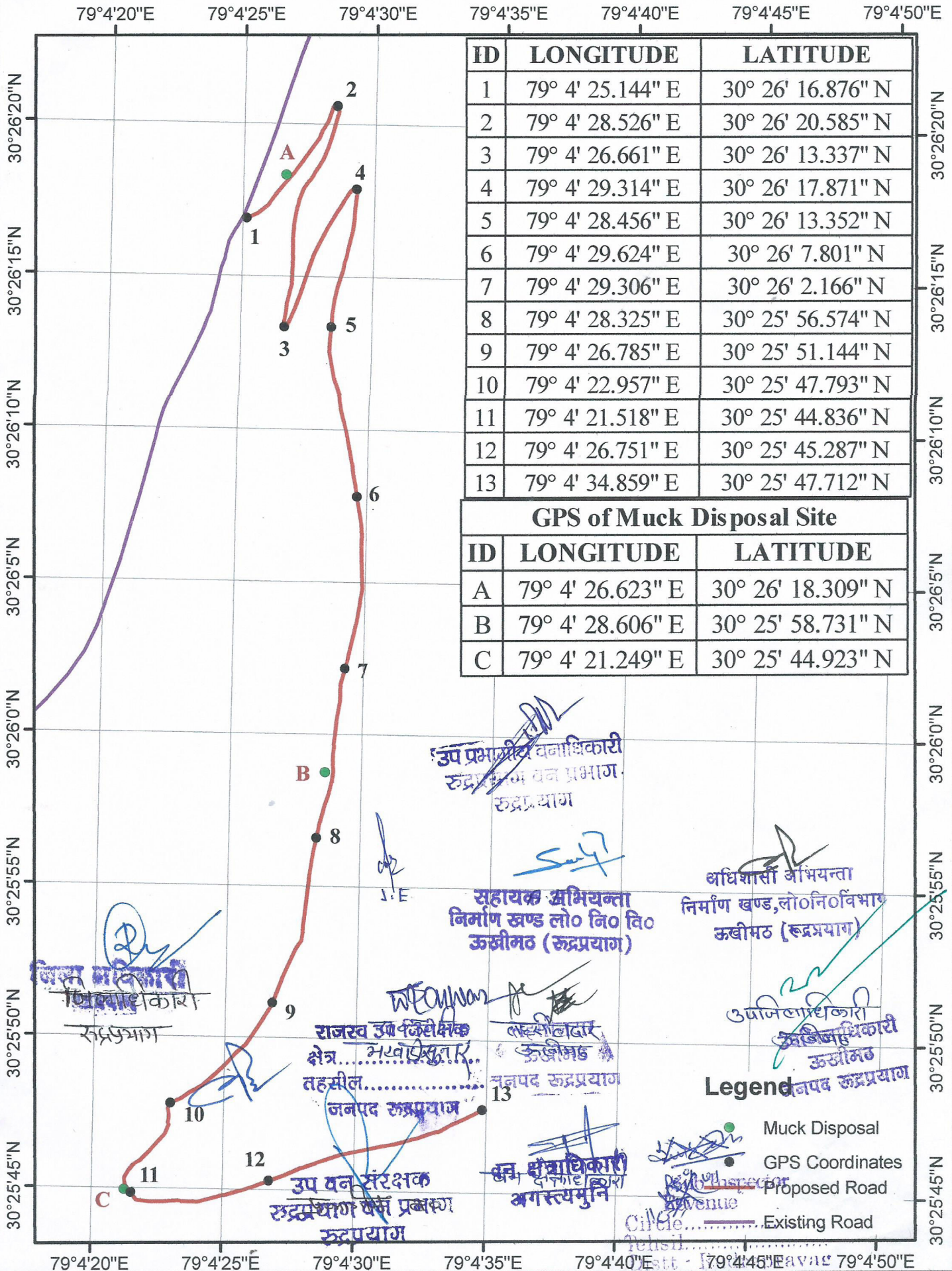

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
ऊखीमठ


अभिधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
ऊखीमठ

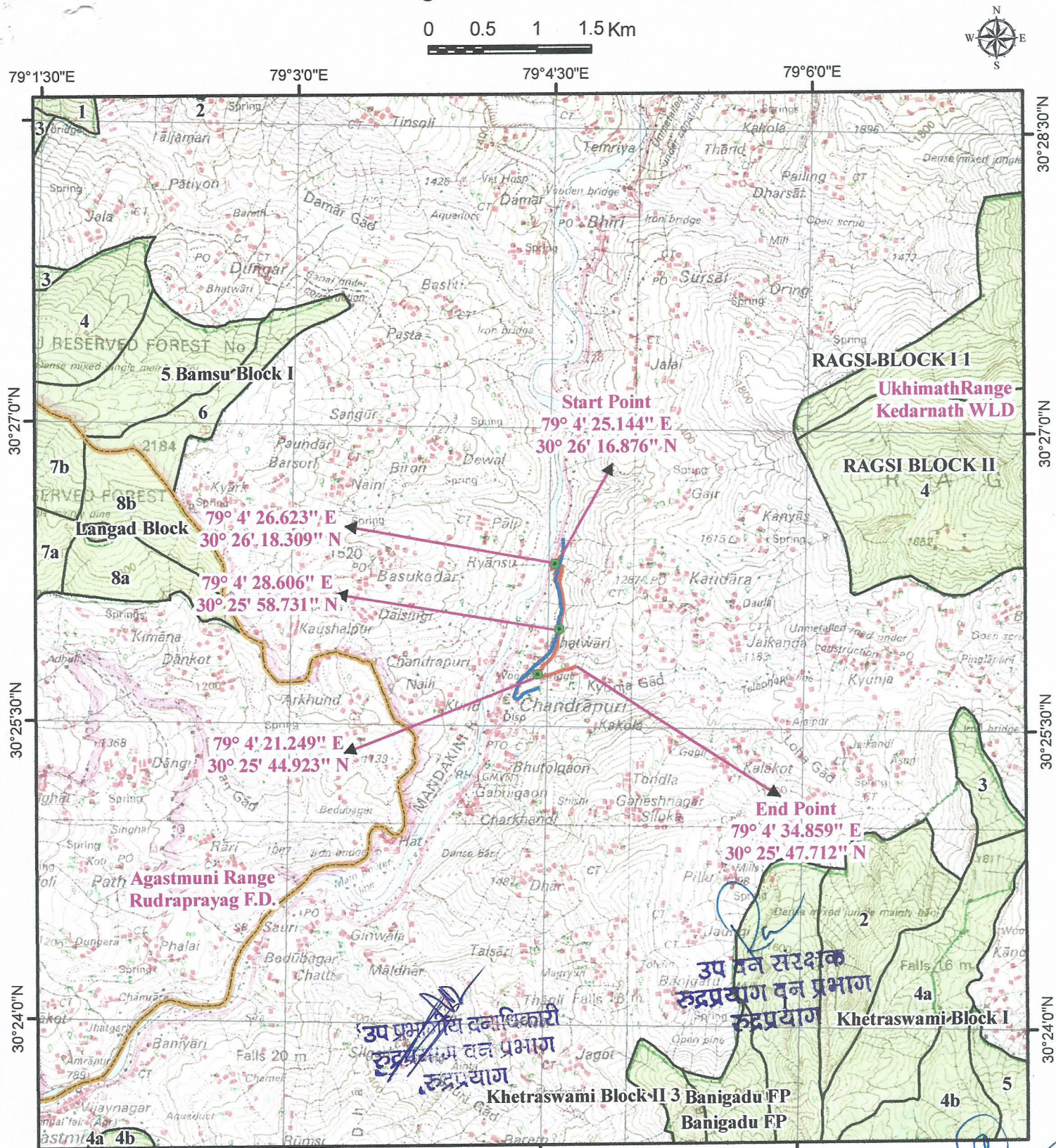
जियोरेफ़रेन्स मैप- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत भटवाड़ी - सुनार - चन्द्रापुरी मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.05 0.1 0.2
KM

Scale - 1:5,000



डिजिटल मानचित्र – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत भट्वाड़ी – सुनार – चन्द्रापुरी मार्ग के निर्माण हेतु



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

मिलनदीकारी
रुद्रप्रयाग

राजस्व एवं विनियोजन
क्षेत्र

तहसील
जनपद रुद्रप्रयाग

वन सहायिका
अगस्त्यमुनि

उपनिर्वाहकारी
उपनिर्वाहकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग
Rover